भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड, देहरादून—248001 दूरभाषः 0135—2650809 फैक्स—0135—2653010

ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या ८ बी. / यू.सी.पी. / 06 / ८८ / २०२० / एफ० सी० / 1500

दिनांकः 20/10/2020

सेवा में.

 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहराद्न।

विषय:— जनपद—देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाही कलां तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online No. FP/UK/ROAD/37612/2018)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1108 / FP/UK/ROAD/37612/2018 दिनांक 13/10/2020

महोदय.

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13/08/2020 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रेषित उत्तर में निम्नलिखित किमयां पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:-

- 1. In reply to point No. 02, complete non-forest area now mentioned for muck disposal at para B 2.4 which is not correct as per muck disposal plan. Further, no comments on muck stabilization are submitted. State Government may provide the correct information in component wise breakup at para B 2.4, Part I and submit the comments on stabilization of muck.
- 2. In reply to point No. 03, KML file has been uploaded now. On perusal of KML file the construction of road beyond point No. 35 (as per digital map) seems not justified as the road is in the dense forest area. State Government may restrict the construction upto that point or provide detail@justification of for the construction of road beyond point No. 35.
- 3. No correction/ justification submitted for point No. 04, 05, 06, 10, 11, 12, 16 & 17 of the EDS letter, which may be submitted.
- 4. In reply to point No. 07, the details of trees are submitted in feet which is not appropriate. State Govt. may submit the details of trees as provided at para 4 in Part I online.

In reply to point No. 08, number of trees mentioned in para 4 part II are 390, in SIR of CF number of trees are mentioned as 389 and in enumeration list of trees the same is mentioned as 208. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों (अधिकतम 90 दिन) के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :— 1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल) उप महानिरीक्षक, वन (के०)